उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN:U40101UP2004SGC028687 | GSTIN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स (जी0एस0टी0 सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिशा–निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020/ दिनांक 15/10/2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

मुख्य अभियन्ता (डी0 एण्ड पी0)/765 केवी/सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0डी0 जानपद (i)/(ii) पारेषण मध्य/पश्चिम दक्षिण–पूर्व/उत्तर–पूर्व/दक्षिण–पश्चिम/दक्षिण–मध्य
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/गोरखपुर/आगरा/झांसी।

विषय :– <u>रिफण्ड वाउचर एवं क्रेडिट नोट से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।</u>

कृपया इस कार्यालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश सं0 02/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2017–18 दिनांक 25.07.2017 एवं दिशा–निर्देश सं0 08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि जमा मद के कार्यों हेतु अग्रिम राशि प्राप्त करते वक्त रिसिप्ट वाउचर निर्गत किया जायेगा एवं किसी कारणवश प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है (आंशिक/पूर्ण रूप से) तो वह धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) रिफण्ड वाउचर के माध्यम से वापस की जायेगी।

उसी तरह अगर इकाई द्वारा किसी माल अथवा सेवा विक्रय हेतु टैक्स इनवॉइस निर्गत की जाती है एवं किसी कारण उस सेवा/माल की वापसी अथवा माल/सेवा मूल्य में कमी आने पर उस टैक्स इनवॉइस के सापेक्ष क्रेडिट नोट निर्गत किया जायेगा एवं विक्रेता को धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) वापस कर दी जायेगी।

संज्ञान में आया है कि इकाईयों पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि रिसिप्ट वाउचर अथवा टैक्स इनवॉइस निर्गत करते समय जी0एस0टी0 की राशि चालान के माध्यम से जमा करा दी जाती है, ऐसी परिस्थिति में रिसिप्ट वाउचर के सापेक्ष रिफण्ड वाउचर एवं टैक्स इनवॉइस के सापेक्ष क्रेडिट नोट निर्गत करने पर जी0एस0टी0 की राशि उपभोक्ता को कैसे वापस की जायेगी?

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जी0एस0टी0 नियमों के अनुसार रिफण्ड वाउचर अथवा क्रेडिट नोट निर्गत करने पर पूर्व में जमा किये हुए जी0एस0टी0 की राशि का समायोजन अग्रेतर महीनों की जी0एस0टी0 देयता के सापेक्ष किया जा सकेगा, तद्नुसार इकाई द्वारा उपभोक्ता को रिफण्ड वाउचर अथवा क्रेडिट नोट नियमानुसार निर्गत करने पर जी0एस0टी0 की राशि का भुगतान निगम की निधि से करना होगा जिसका समायोजन अग्रेतर महीनों की जी0एस0टी0 की देयता से किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त पुनः अवगत कराना है कि क्रेडिट नोट निर्गत करने की समय सीमा, टैक्स इनवाईस की दिनांक के अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर होती है एवं रिफण्ड वाउचर निर्गत करने की कोई समय सीमा नही होती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

दिशा–निर्देश सं0: 22 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि0/एस0एल0डी0सी/वाणिज्य एवं नियोजन उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पश्चिम/दक्षिण–पूर्व/उत्तर–पूर्व/दक्षिण–पश्चिम/दक्षिण मध्य, लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/गोरखपुर/ आगरा/झांसी।
4. लेखाधिकारी (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः–यथोपरोक्त

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)